# बाराडीह पंचायत में शराब के खिलाफ महिलाएं गोलबंद

**बोकारो जिले के बारीडीह पंचायत की पंचायत समिति सदस्य पुष्पा देवी की अगुवाई में बहादुरपुर में महिलाओं ने की बैठक. महिलाओं ने बनायी अवैध शराब बेचने व बनाने वालों की सूची.**

**विकास गोस्वामी**

बोकारो जिले के बाराडीह पंचायत स्थित बहादुरपुर बाजारटांड में शराब बंदी को लेकर महिलाओं की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता बाराडीह पंचायत समिति सदस्य पुष्पा देवी ने की. जिसमें गांव में शराब की बिक्री व सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया. इसके लिए महिलाओं ने शराब बेचने व बनाने वालों की सूची तैयार की. सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि पंचायत में अवैध शराब की बिक्री नहीं होने दी जायेगी. पंचायत समिति सदस्य पुष्पा देवी ने कहा कि शराब ने कई लोगों की जान ली है और बहुत सारे घरों को बरबाद किया है. अगर शराब बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई तो हमारी पंचायत की पहचान विधवा बस्ती के रूप में होने लगेगी. रूपा देवी ने कहा कि हमारे पंचायत के अधिकतर युवा, बुजुर्ग सभी शराबी होते जा रहे हैं. इससे महिला वर्ग परेशान हैं. हमें इसका डटकर विरोध करना होगा तभी हमारे पंचायत की पहचान एक स्वच्छ पंचायत के रूप में होगी. रीना देवी, चरकी देवी, पारो देवी, रासो देवी, सुनीता देवी, समोली देवी ने कहा कि शराब घरों के पतन की जड़ है. इसलिए शराब की बिक्री व सेवन पर रोक लगनी चाहिए. बैठक में निर्णय लिया गया कि शराब

शराब बंदी को लेकर बैठक करती महिलाएँ.

विक्रेताओं व सेवन करने वालों को बुलाकर चेतावनी दी जाये. क्षेत्र के राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों व बुद्धिजीवियों को बैठक में बुलाने का निर्णय लिया गया.

ये प्रस्ताव पारित हुए

- **इस आन्दोलन को चलाने के लिए प्रथम चरण में शराब बनाने वाले परिवार से सम्पर्क कर उन्हे अविलम्ब बन्द कराने का आग्रह किया जायगा.**
- **शराब का व्यवसाय बन्द करने वाली महिलाओं व ग्रामीणों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने का काम किया जायगा ताकि गांव समाज पूर्ण रूप से नशामुक्त हो सके.**

# गांवों में बच रही हैं सिर्फ महिलाएं

**रश्मि शर्मा,** स्वतंत्र पत्रकार

क्यों होता है पलायन, इस सवाल के उचित जवाब के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे. काम की तलाश में 1890 में पहली बार बिहार से लोग बाहर गए. असम. चाय के खेतों में काम करने. उस वक्त सरकारी महकमे और चाय बगान के मालिक खुद उन्हें लेकर गए. शायद उसी वक्त से पलायन शुरू हुआ जो उस वक्त मौजूद समस्याओं के कारण था. सूखा, अकाल और कृषि पैदावार में कमी के कारण लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए. सरकारी कार्यों की धीमी गति भी पलायन की वजह बनी.

महान चिंतक कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अपराध, वेश्यावृति तथा अनैतिकता का मूल कारण भूख व गरीबी होती है. जब गांव के गांव खाली हो रहे हैं तो स्वभाविक है कि शहरों में भीड़ बढ़ रही है. और पलायन कर के जाने वाले नौजवानों को जब जीवन यापन का उचित माध्यम नहीं मिलता तो वे भटक जाते हैं.

मगर अब पलायन भीषण त्रासदी में बदलने वाली है. आर्थिक-सामाजिक ढांचे में बदलाव का अध्ययन करें तो हमें पता लगता है कि पलायन से उपजे शहर अब अरबन-स्लम में बदल रहे हैं. 2011 की जनगणना के आंकड़े कहते हैं कि गांव छोड़ कर शहर की ओर जाने वालों की संख्या बढ़ रही है और अब 37 करोड़ 70 लाख लोग शहरों के बाशिंदे हैं.

अगर यह बात झारखंड राज्य के संदर्भ में की जाए तो पिछले एक दशक 2001 से 2011 तक राज्य की सकल आबादी में बढ़ोतरी हुई है. लेकिन जनजातीय आबादी में 0.1 प्रतिशत की कमी आई है. हालांकि ये मामूली गिरावट है मगर आदिम जनजातियों और आदिवासियों के विकास और उनके संरक्षण की कागजी कार्रवाई की पोल खोलने के लिए काफी है.

17 जून, रांची से दिल्ली जाने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से मानव तस्करी के शक में कानपुर, फिरोजाबाद और गाजियाबाद स्टेशनों पर 52 लोगों को उतारा गया जिसमें बच्चे-युवतियां और कई पुरुष शामिल थे. यह कार्रवाई एक फेरीवाले की सूचना पर की गई थी इस सिलसिले में चार व्यक्ति गिरफ़्तार हैं और नाबालिग लड़कियों और युवतियों को एक आश्रम में पहुंचा दिया गया है.

पिछले दिनों 15 फरवरी 2012 को एक खबर आई थी कि सिमडेगा का केरसाई गांव सभी नौजवानों से खाली हो गया है. सिर्फ महिलाएं, चार बुजुर्ग और दो लाचार लोग ही यहां बचे हैं. सभी 72 परिवारों के 78 पुरुष रोजी-रोटी की तलाश में पलायन कर गए हैं. गांव में कोई सरकारी योजना नहीं चल रही. रोजगार के अभाव में लोगों का जिंदा रहना मुहाल हो गया है. सिंचाई के साधन नहीं है, इसलिए खेत सूखे पड़े हैं. गोबरलच्छा से सटे टांगरटोली गांव की भी कहानी ऐसी ही है. यहां के 114 परिवारों के लोग पलायन कर चुके हैं. ऐसी दुरूह स्थिति में लोगों को पलायन ही जीवनयापन का सही रास्ता समझ आता है. मगर ये राह आसान भी नहीं.

2001 और 2011 के आंकड़ों की तुलना करें तो पाएंगे कि इस अवधि में शहरों की आबादी में नौ करोड़ दस लाख का इजाफा हुआ, जबकि गांवों की आबादी नौ करोड़ पांच लाख ही बढ़ी. देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 60 फीसदी तक पहुंच गया है, जबकि खेती का योगदान दिनोंदिन घटते हुए 15 प्रतिशत तक रह गया है. हालांकि गांवों की आबादी अब भी लगभग 68.84 करोड़ है यानी देश की कुल आबादी का दो-तिहाई. यदि आंकड़ों को गौर से देखें तो पाएंगे कि देश की अधिकांश आबादी अब भी उस क्षेत्र में रह रही है जहां का जीडीपी शहरों की तुलना में छठा हिस्सा भी नहीं है. यही कारण है कि गांवों में जीवन-स्तर में गिरावट, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं का अभाव और रोजगार की कमी है और लोग बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं.

सिमडेगा में पलायन के संबंध में पूछने पंचायत समिति सदस्य का कहना है कि जनप्रतिनिधि कुछ करना चाहते हैं तो बाबुओं का सहयोग नहीं मिलता. अब ऐसे में कोई जिंदगी कैसे बसर करे.

ये केवल सिमडेगा का हाल नहीं. खूंटी जिले के पतराचुर गांव का बलंग मुंडा 20 अगस्त 2012 को काम की तलाश में हिमाचल प्रदेश चला गया. साथ में पत्नी और तीन साल की बेटी. बेरोजगारी का शिकार बलंग मुंडा आंखों में सपने सजा के दूर प्रदेश गया कि वहां जाकर पैसे कमा कर लाएगा और अपने घर में सुख से रहेगा. बेटी का भी स्कूल में दाखिला करवाकर उसे सुशिक्षित करेगा. दो एक साल पहले कमा ले, फिर अपने गांव वापस लौट आएगा. मगर दुर्भाग्य से शिमला पहुंचते ही आफत में फंस गया. बस से जा रहा था और रीतांग पहाड़ के ऊपर से चट्टान गिर पड़ी. बेहोशी की हालत में लोगों ने उसे शिमला के सोलाडेन अस्पताल में भर्ती करवाया. वह पत्नी और बच्ची से बिछड़ गया.

घबराई और असहाय पत्नी आची भेंगरा अपनी बच्ची को लेकर खूंटी वापस आ गई. पति के बिना निराश, इस आस में कि पति शायद घर लौट आया हो. घर में बूढ़े मां-बाप अकेले. तीन भाई और हैं मगर कोई साथ नहीं रहता. सब काम की तलाश में बाहर. परिजन उदास, निराश कि खो गया बेटा.

भाग्यवश बलंग मुंडा जनवरी 2013 में घर वापस आ गया. मगर उसने अपने पैर गंवा दिए. पैरों में ऐसी कमजोरी है कि न उठ पाता है न चल पाता है. दुर्घटना के कारण पैरों में खून का बहाव सही नहीं हो रहा इसलिए वह आसानी से चल-फिर नहीं पाता. एक डंडे का सहरा लेकर जरूरी काम निपटाता है.

हाल पूछने पर डबडबाई आंखों से कहता है....मैट्रिक पास हूं. मगर जीविका का कोई सहारा नहीं. यहां ऐसा कोई काम नहीं मिलता जिससे अपने परिवार का पेट पाल सकूं. पिताजी थोड़ा-बहुत इधर उधर काम करके कमाते हैं, उससे परिवार नहीं चलता. मां बैल चराती है. लाल कार्ड मिला है मगर कोई फायदा नहीं. न कोई कार्य न अनाज और न ही पैसा. क्या करें ऐसे में. बाहर तो जाना ही पड़ेगा. हमलोग चार भाई हैं. मगर काम की तलाश में सब बाहर. एक भाई पंजाब में हैं. मजदूरी करता हैं. साल में एक बार यहां आता हैं, सबसे मिलने और आर्थिक मदद के लिए. दूसरा भाई यहीं झारखंड में नौकरी करता है मगर घर से दूर है. सबसे छोटा भाई चार साल पहले हिमाचल गया, नहीं लौटा. अपनी पत्नी को भी ले गया.

अब आलम ये है कि पत्नी आची भेगरा अपनी बच्ची को लेकर बंगाल चली गई है काम के लिए. छह महीने बाद जून में घर वापस आएगी. पैसे नहीं इसलिए बच्ची का भविष्य नहीं. मां संग धूल छान रही होगी. बूढे मां बाप के साथ बलंग भेगरा टूटे छप्पर तले अकेला बैठा किस्मत को कोसता बच्ची व पत्नी का इंतजार कर रहा है.

राज्य सरकार बार-बार दावे करती है कि वह ऐसे लोगों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार उपलब्ध करा कर पलायन रोकने के लिये प्रतिबद्ध है. सरकार की प्राथमिकता महिलाओं, बच्चों, लड़कियों और परिवारों को सुरक्षित रखने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की है. उन्होंने महिलाओं को झारक्राफ्ट से जोड़ने और स्वयं सहायता समूहों की मदद से रोजगार उपलब्ध कराने पर बल दिया. मगर ये सब भी अंततः घोषणा मात्र ही साबित हुए.

**यह खबर आईएम4चेंज मीडिया फेलोशिप के तहत प्रकाशित है**

जेकर ऊंखे लागे लाही, ओह पर आय बड़ी तबाही.

(यानी गन्ने की फसल में यदि लाही लग जाय, तो गृहस्थ को बहुत हानि होती है. लाही लोहे के रंग का एक कीड़ा है, जो गन्ने की फसल को हानि पहुंचाता है. इससे गन्ने की रक्षा करें.)